

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर  
 'वित्त भवन' जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल [jdp-ta-ri@nic.in](mailto:jdp-ta-ri@nic.in))

क्रमांक:- प.4(ई)(1)(6)एसीपी/अलेसे-गा/२।०।

दिनांक:- ३१-०७-१८

आदेश संख्या 166/2018-19

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल L-13 में स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)/लिंक नं.	मेरिट/बैच नं.	कनिष्ठ लेखाकार/समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सुरेश कुमार ठठेरा (5375)	120/88	16.04.1990	16.04.2018	वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 की शिड़यूल vi के बिन्दु (10) के अनुसरण में एक वर्ष बाद देय।

उपरोक्त क्रम संख्या 1 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकार के गत 7 वर्ष में से पूरे 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 9 वर्ष में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जायेगा।

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैश 14 एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें—

- पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
- पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
- कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
- इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं हैं।
- गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

क्रमांक:- प.3(ई)एसीपी/अलेसे-गा/1988/२।०।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

(मंजुला वर्मा)  
 निदेशक

दिनांक:- ३१-०७-१८

- संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
- अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1) एपीएआर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि क्रम संख्या 1 पर अंकित कार्मिक के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि उनमें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि पाई जावें तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।
- अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
- कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट) हेतु।
- संबंधित कनिष्ठ लेखाकार
- रक्षित /निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)